



प्रेषक,

उदय प्रताप सिंह,  
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/  
प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

अनुश्रवण प्रकोष्ठ, न्याय विभाग

लखनऊ : दिनांक 06 फरवरी, 2026

विषय:- रिट-ए-संख्या-12283/2023, राम कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-08-2023 का अनुपालन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि रिट-ए-संख्या-12283/2023, राम कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व  
अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 22-08-2023 को निम्नलिखित आदेश पारित  
किये गये हैं जिसके मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् है: -

“.....

15. As a matter of experience and with most anguish, it is observed that the said general mandamus is not being obeyed by the departments and, therefore, this Court is flooded with hundreds and thousands of writ petition claiming post retiral benefits.

16. This writ petition is being disposed of in the following terms:-

(a) The Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Seohara, District Bijnor (respondent no.2) shall take up the matter with utmost priority and take a decision on the admissibility of post retiral benefits payable to the petitioner, not later than by 15.10.2023.

(b) The Registrar General of this Court is directed to send a copy of this order to the Chief Secretary of the State Government, U.P., Lucknow for the purposes of issuance of requisite circular to all the Departments under the control of the State Government to ensure that the directions issued by this Court in the case of Mukti Nath Rai (supra), as mentioned herein above, be complied with in their true letter and spirit so that the State, its instrumentalities and common man may not indulge in unnecessarily litigation..”

कृपया मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त आदेश का अनुपालन किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उदय प्रताप सिंह )

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

संख्या- 1/2026/आर0टी0आई0-16(1)/सात-न्याय अनु0प्रको0/2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अनु सचिव एवं जनसूचना अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या- 101/मु0स0/ सू0अ0/2026, दिनांक 23-01-2026 के क्रम में आवश्यक/अग्रेतर

कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 2- रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या- पीएस(आरजी)/118/2023, दिनांक 26 अगस्त, 2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लोकेश नागर)

विशेष सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।